Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
प्रकीर्ण वर्ग

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–958/503अधि.प्रा./2016 दिनांकः17/08/2016

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 65/10 अधि. प्राप्ति/12, दिनांक 25/1/12 द्वारा चार Steel Manufacturers (RINL,SAIL,TATA एवं Shyam Steel Industries Ltd.) को विभिन्न विभागों यथा RDSO, NHAI, DMRC, RITES, NPCC, इत्यादि द्वारा Primary Producer होने से संबंधित निर्गत किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर लो0नि0वि0 उत्तरांखण्ड में भी Primary Steel Producer के रूप में चिन्हित किया गया था। इसी कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1357/10 अधि प्राप्ति /14, दिनांक 13/10/2014 द्वारा निर्देशित किया गया है कि MORTH के Clause संख्या 1009. 3.1.के अनुसार समस्त Reinforcement Steel, Original Steel Producers से ही क्रय किया जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि क्रय किया गया Steel IS :1786 की विशिष्टियों के अनुरूप हो। यदि Original/ Primary Steel Producer द्वारा आवश्यकतानुसार Steel उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए ऐसा Certificate प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित अधीक्षण अभियन्ता से पूर्वानुमति लेते हुए अन्य Steel Manufacturers / Suppliers (जो Original Producer से क्रय किए गए Billets से Reinforement Steel तैयार करते हों) से Steel क्रय किया जा सकता है।

परन्तु बहुधा संज्ञान में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन न कर सीधे अन्य Steel Manufacturers से Steel क्रय किया जा रहा है। अतः एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस संबध में पूर्व में दिए गए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, Primary Steel Producers हेतु भी निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. Reinforcement Steel क्रय करने से पूर्व Manufacturer's Certificate अवश्य प्राप्त कर लें।
2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि Reinforcement Steel IS:1786 के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हो। प्रयोग में लाने से पूर्व हर लॉट के Reinforcement Steel की गुणवत्ता की जाँच करवाना सुनिश्चित किया जाए जिसे करवाने का दायित्व पूर्णतया संबधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1 मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।
2 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पिथौरागढ़/पौड़ी/देहरादून/टिहरी लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0 डी0 बी0/वर्ल्ड बैंक, हल्द्वानी/देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, अपने अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित करने हेतु ।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II/डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0

IV